उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–हदबन्दी अपील वाद सं०– 02/2015

सोहन महतो बनाम् तुलेश्वर महतो वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

आदेश

16-03-2022

इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी सोहन महतो पिता स्व0 फकीर महतो साकिन ग्राम उसरा पो0 सोसो थाना रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–हदबन्दी वाद संख्या 04/2007–08/05/2010–11 सोहन महतो बनाम तुलेश्वर महतो एवं अन्य में दिनांक 18.08.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1961 की धारा 30 के तहत अपील दायर किया गया। उसके आधार पर वाद को अंगीकृत किया गया एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख की मांग की गई एवं विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया।

प्रश्नगत भूमि ग्राम उसरा थाना नं०–108 थाना रामगढ़ के अन्तर्गत खाता नं०–44 प्लॉट नं०–1443/1905 कुल रकबा–0.39 एकड़ मध्ये रकबा–$0.19^1/_2$ एकड़ भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम उसरा थाना नं०–108 थाना रामगढ़ के अन्तर्गत खाता नं०–44 प्लॉट नं०–1443/1905 कुल रकबा–0.39 एकड़ मध्ये रकबा–$0.19^1/_2$ एकड़ तुलेश्वर महतो पिता महाबीर महतो साकिन ग्राम–उसरा के द्वारा केवाला संख्या–2529 दिनांक–23.07.2007 के माध्यम से बिक्रेता वकार

अहमद पिता स्व० मोहम्मद वशी साकिन ग्राम वो पो० चितरपुर थाना वो जिला रामगढ़ से क्रय किया गया है। केवाला संख्या–2529 दिनांक–23.07. 2007 में दर्ज चौहद्दी इस प्रकार है :– उत्तर–सोहन महतो, दक्षिण–सोहन महतो, पूरब–नीज विक्रेता वो लखेश्वर चौधरी, दक्षिण–सोहन महतो है।

इसी प्रकार केवाला संख्या–1071 दिनांक–03.04.2007 द्वारा तुलेश्वर महतो पिता–महाबीर महतो साकिन ग्राम–उसरा थाना नं०–108 थाना रामगढ़ के अन्तर्गत खाता नं०–44 प्लॉट नं०–1143/1905 कुल रकबा–0.39 एकड़ मध्ये रकबा–$0.19^1/_2$ एकड़ भूमि बिक्रेता वकार अहमद पिता–स्व० मोहम्मद वशी साकिन ग्राम वो पो० चितरपुर थाना वो जिला रामगढ़ से क्रय किया गया है। इस केवाला संख्या–1071 दिनांक–03.04. 2007 में दर्ज चौहद्दी इस प्रकार है :– उत्तर–सोहन महतो, दक्षिण–सोहन महतो, पूरब–नीज विक्रेता वो लखेश्वर चौधरी, दक्षिण–सोहन महतो है।

उपर्युक्त वर्णित केवाला संख्या–1071 दिनांक–03.04.2007 एवं केवाला संख्या–2529 दिनांक–23.07.2007 के चौहद्दी से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी सोहन महतो प्रश्नगत भूमि का अरिया रैयत है। केवाला संख्या–2529 दिनांक–23.07.2007 में केवल प्लॉट नं०–1143/1905 के स्थान पर 1443/1905 दर्शाया गया है और बाकी अन्य तथ्य दोनो केवाला में एक ही है।

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी, दुलमी से कार्यालय पत्रांक 297/विधि रामगढ़ दिनांक 09.03.2022 द्वारा मौजा उसरा के खाता न0 44 का प्लॉट न0 1143/1905 एवं प्लॉट न0 1443/1905 के संदर्भ में स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त आलोक अंचल अधिकारी, दुलमी ने अपने पत्रांक 228 दुलमी दिनांक 15.03.2022 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन में उल्लिखित है कि मौजा उसरा के खाता न0 44 का प्लॉट न0 1143/1905 एवं प्लॉट न0 1443/1905 के संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिया गया है। खाता संख्या 44 खतियान में सेख महमद वरसे के नाम से दर्ज एवं प्लॉट की विवरणी निम्न है –

मौजा	खाता न0	प्लॉट न0	रकवा	किस्म
उसरा	44	1443 / 1905	0.39 ए0	परती कदीम

खतियान में प्लॉट न0 1143 / 1905 दर्ज नही है। खतियान में प्लॉट न0 1143 एवं 1443 / 1905 दर्ज है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि केवाला संख्या–1071 दिनांक–03.04.2007 जिसमें प्लॉट 1143 / 1905 दर्शाया गया है वो खतियान में दर्ज नही है एवं केवाला संख्या–2529 दिनांक–23.07.2007 में केवल प्लॉट नं०–1143 / 1905 के स्थान पर 1443 / 1905 दर्शाया गया है और बाकी अन्य तथ्य दोनो केवाला में एक ही है, जो अंचल अधिकारी, दुलमी के प्रतिवेदन के आधार पर खतियान में दर्ज है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–हदबन्दी वाद संख्या 04 / 2007–08 / 05 / 2010–11 सोहन महतो बनाम तुलेश्वर महतो एवं अन्य में दिनांक 18.08.2012 को पारित आदेश को खारिज किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, दुलमी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के बावत पुनः नये सिरे से सुनवाई करते हुए **reasoned speaking order** पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजे।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
16.03.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
16.03.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.25 17:09:48 +05:30
Location: 192.168.0.4